रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 210] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 13, 1972/भाद्र 22, 1894

No. 210] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 1972/BHADRA 22, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September 1972

No. 37/1/VI/72/T.—The following order by the President dated the 12th September, 1972 is published for general information:—

"In exercise of the powers conferred upon me by clause (1) of article 85 of the Constitution, I hereby summon the Lok Sabha to meet at New Delhi on Monday, the 13th November, 1972 at 11 A.M.

V. V. GIRI.
President."

September 12, 1972.

S. L. SHAKDHER, Secy.

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1972

संख्या 37/1/6/72/टी.—राष्ट्रपति का दिनांक 12 सितम्बर, 1972 का निम्नलिखित आदेश सामान्य जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

"संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (1) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं एतद्द्वारा लोक सभा को सोमवार, 13 नवम्बर, 1972 को 11 बजे म० पू० नई दिल्ली में अधिवेशन के लिये आमंत्रित करता हूं ।

वी० वी० गिरि,

12 सितम्बर, 1972 राष्ट्रपति ।"

श्यामलाल शकधर, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972